न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2021-411RAAJodhpur2021-210RTA225 Kesharam ors Vs Dedaram etc

01. केसाराम उर्फ किशनाराम पुत्र रूपाराम
02. श्रीमती गेरो पत्नी रूपाराम
जातियान् जाट, निवासीगण- मोतीनगर, चामू, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. देदाराम पुत्र चैनाराम जाति जाट, निवासी- मोतीनगर, चामू, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
2. देवी पत्नी हरूराम
3. मांगीलाल पुत्र हरूराम नाबालिग
4. लक्ष्मण पुत्र हरूराराम नाबालिग
5. प्रेमी पुत्री हरूराम नाबालिग
6. बरजु पुत्री हरूराम नाबालिग
7. उषा पुत्री हरूराम नाबालिग
रेस्पोडेंट संख्या तीन से सात नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता श्रीमती देवी पत्नी हरूराम जाति जाट निवासी- मोतीनगर, चामू, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
8. लुणाराम पुत्र मगाराम के कायम मुकामः -
8.1. बाबुदेवी पत्नी लूणाराम
8.2. सुआ पुत्री लुणाराम नाबालिग
8.3. ओमी पुत्री लूणाराम नाबालिग
8.4. डुंगरराम पुत्र लुणाराम नाबालिग
8.5. पुष्पा पुत्री लुणाराम नाबालिग
8.6. धापु पुत्री लुणाराम नाबालिग
8.7. तीजो पुत्री लुणाराम नाबालिग
रेस्पोडेंट संख्या 8/2 से 8/7 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता श्रीमती बाबूदेवी पत्नी लुणाराम जाति जाट निवासी- मोतीनगर, चामू, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
9. दोलाराम पुत्र मगाराम
10. हीरादेवी पत्नी मगाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी

11. रमेश पुत्र चुनाराम नाबालिग
12. हीराराम पुत्र चुनाराम नाबालिग
    रेस्पोडेंट संख्या 11 से 12 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता श्रीमती शांतिदेवी पत्नी चुनाराम जाति जाट निवासी- मोतीनगर, चामू, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
13. शांतिदेवी पत्नी चुनाराम
14. पुरखाराम पुत्र चुनाराम
15. घेवरराम पुत्र जगाराम
16. गुणेशराम पुत्र जगाराम
17. भूराराम पुत्र अचलाराम
18. खीयाराम पुत्र अचलाराम
19. मोटाराम पुत्र अचलाराम
20. धनाराम पुत्र अचलाराम
21. झूमरराम पुत्र अचलाराम
22. गोरखाराम पुत्र अचलाराम
23. जेठाराम पुत्र अचलाराम
24. देदाराम पुत्र भैराराम
25. तुलछाराम पुत्र भैराराम
    सभी निवासीयान् मोतीनगर तहसील सेखाला, जिला जोधपुर।
26. ग्राम पंचायत गोदेलाई जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गोदेलाई, पंचायत समिति सेखाला, जिला जोधपुर।
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेखाला, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 29 सितंबर 2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 148/2020 देदाराम बनाम केसाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 27

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 16 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 148/2020 देदाराम बनाम केसाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 सितंबर 2021 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 24 नवंबर 2021 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट-प्रार्थी संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए पेश कर अपने एवं अप्रार्थी संख्या 9 से 26 के खेत खसरा नं. 579 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या एक से आठ की खातेदारी खेत खसरा नं. 580/1 रकबा 34.16 बीघा में सें रास्ते की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार सेखाला से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 सितंबर 2021 के जरिये प्रार्थी/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या एक के प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 में स्पष्ट कथन किया कि ''प्रार्थीगण के घर जाने का एवं घर से पंचायत भवन जाने, आंगनबाड़ी केन्द्र जाने, अस्पताल जाने, सार्वजनिक कुएं/नलकूप पर पानी लाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर आज दिन मौजूद नहीं है। इसलिए उक्त कदीमी चल रहे रास्तो को राजस्व रेकर्ड में कटाणी रास्ता दर्ज किया जाना आवश्यक है।'' प्रार्थी ने अपने घर जाने के लिए अपीलांट्स की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खातेदारी भूमि में सें कदीमी रास्ते को कटाणी रास्ता दर्ज करवाने के लिए आवेदन अन्तर्गत धारा 251-ए आर.टी.एक्ट के प्रावधानों के तहत पेश किया है। यहां पर उल्लेख करना आवश्यक है कि घर के जाने आने के लिए रास्ता धारा 251-ए के अन्तर्गत दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। रेस्पोंडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु खसरा नं. 572 में सें रास्ता उपलब्ध है तथा जो रास्ता ही निकटतम है। अपीलांट्स ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका रिपोर्ट पर एतराज प्रस्तुत किया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने आपत्तियों का निस्तारण किये बिना ही प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नाबालिगों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर विधिक भूल की है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि नाबालिग के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 सितंबर 2021 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावें तथा रेस्पोडेंट संख्या एक के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु उक्त अपीलाधीन रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। अपीलांट्स द्वारा जो खसरा नं. 572 मे सें रास्ता बताया गया है, वहा पर मौके पर पक्के निर्माण बने हुए है, जहां से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है तथा न ही उक्त विकल्प का रास्ता लघुतम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथ्यों के गहन विवेचन के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधि सम्मत आदेश पारित किया है अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 23.12.2020 में रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम बताया गया हैं जो खसरा नं. 580/1 की दक्षिणी माठ के सहारे-सहारे है। अपीलांट्स का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा उनकी आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया गया। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत जवाब के अवलोकन मुताबिक अपीलांट्स द्वारा अपने जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु किसी अन्य वैकल्पिक रासते का जिक्र किया जाना नहीं पाया जाता है। अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु खसरा नं. 572 में से निकटतम रास्ता उपलब्ध है, वही प्रत्युतर में वकील रेस्पोडेंट का कथन है कि खसरा नं. 572 में मौके पर पक्के निर्माण किये हुए है, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत गुगल मानचित्र से होती है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रदत रास्ता रेस्पोडेंट संख्या एक के खेत खसरा नं. 579 में आवागमन हेतु निकटतम एवं लघुतम रास्ता होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 सितंबर 2021 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.12.2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर